

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**  
**(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

**सा.का.नि. 520(अ).**—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 49 के अधीन साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "साइबर अपील अधिकरण" से अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित साइबर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

3. साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य-अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

(क) साइबर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों का समय पर और दक्ष निपटान करना;

(ख) कर्मचारियों, सामाजिक कल्याण स्कीमों के साथ-साथ शिकायत और प्रतितोष ढांचे से संबंधित विभिन्न कानूनी उपबंधों और उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों को कार्यान्वित करना;

(ग) अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत और परिपत्र जारी करना;

(घ) विशेषज्ञों और वृत्तिकों, जिनके अंतर्गत सत्य निष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता का न्यायमित्र, जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर विधियों में विशेष ज्ञान और अनुभव है, की ऐसी संख्या नियोजित करना, जो यह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों को निपटाने में साइबर अपील अधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे;

(ङ.) साइबर अपील अधिकरण की किसी कार्यवाही या देश में किसी लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटि को किसी भी समय या तो अपने स्व:प्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर परिशोधित करना;

(च) कतिपय परिस्थितियों में कारणों को अभिलिखित करते हुए, जहां अधिनियम या नियमों में कोई ऐसी प्रक्रिया विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं की गई है, प्रक्रिया अवधारित करना; और

(छ) अधिनियम के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त न्यायनिर्णायन अधिकारियों द्वारा फाइल किए गए या निपटाए गए मामलों के ब्यौरे मांगना ।

[फा. सं. 17(12)/2015-कार्मिक I]

आर. के. सुधांशु, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

**G.S.R. 520(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (w) sub-section (1) read with sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Cyber Appellate Tribunal (Powers and Functions of the Chairperson) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(b) “Chairperson” means the Chairperson of the Cyber Appellate Tribunal under section 49 of the Act;

(c) “Cyber Appellate Tribunal” means the Cyber Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 48 of the Act;

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Powers and functions of the Chairperson of the Cyber Appellate Tribunal.- The Chairperson shall have the power,-

(a) to ensure a timely and efficient disposal of matters pending before the Cyber Appellate Tribunal;

- (b) to implement various Statutory provisions related to employees, social welfare schemes as well as Grievance and Redressal framework and guidelines as formulated by the Supreme Court and the Central Government from time-to-time;
- (c) to issue guidelines or circulars from time-to-time keeping in view the provisions of the Act;
- (d) to engage, such number of experts and professionals, including amicus curiae of integrity and outstanding ability, who have special knowledge of, and experience in information technology and cyber laws, as it deems necessary to assist the Cyber Appellate Tribunal in the discharge of its functions under this Act;
- (e) to rectify any clerical or arithmetical mistakes in any proceedings or order of the Cyber Appellate Tribunal at any time, either on its own motion or on the application of any of the parties;
- (f) to determine procedure in certain circumstances, for reasons to be recorded in writing, where no such procedure has specifically been provided in the Act or Rules; and
- (g) to seek details of cases filed before or disposed of by the Adjudicating Officers appointed under the Act on regular basis.

[F. No. 17(12)/2015-Pers.I]

R. K. SUDHANSHU, Jt. Secy.